



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/आर/वि.परि./31/2025

Date: 11 मार्च, 2025

सेवा में,

1. प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त), मुक्त शिक्षा विद्याशाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
3. डॉ0 मनु प्रताप सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय, Rector, जे0एन0यू0, डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
5. डॉ0 एच0सी0 पुरोहित, प्रोफेसर एवं डीन, प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।
7. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर रेनु प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
12. डॉ0 एम0एम0 जोशी, आचार्य, इतिहास, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
13. डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल, सह-आचार्य, जन्तु विज्ञान, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
14. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-आचार्य, वानिकी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
15. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
16. डॉ0 सुमित प्रसाद, सहायक आचार्य, प्रबंध अध्ययन, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
16. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
17. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 11 मार्च, 2025 (मंगलवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,
(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, विद्या परिषद

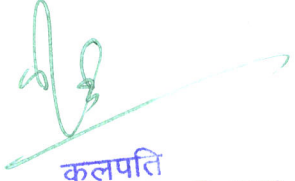
प्रतिलिपि:- कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 11 मार्च, 2025 (मंगलवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी,
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल,
कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त),
मुक्त शिक्षा विद्याशाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। | सदस्य |
| 3. | प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट,
विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। | सदस्य |
| 4. | डॉ0 एच0सी0 पुरोहित,
प्रोफेसर एवं डीन,
प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय,
देहरादून। | सदस्य |
| 5. | प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय,
Rector , जे0एन0यू0,
डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 6. | प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे,
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 7. | प्रोफेसर पी0डी0 पंत,
निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 8. | प्रोफेसर रेनु प्रकाश,
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 9. | प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय,
निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 10. | प्रोफेसर एम0एम0 जोशी,
आचार्य, इतिहास,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 11. | डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल
सह-आचार्य, जन्तु विज्ञान,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 12. | डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी,
सह-आचार्य, वानिकी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 13. | डॉ0 नीरजा सिंह,
सहायक आचार्य, समाज कार्य,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 14. | डॉ0 सुमित प्रसाद,
सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सचिव |
| 15. | श्री खेमराज भट्ट,
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य सचिव |
| 16. | श्री सूर्य प्रताप सिंह,
मुख्य वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय | आमंत्रित सदस्य |
| 17. | प्रोफेसर सोमेश कुमार,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी | आमंत्रित सदस्य |

बैठक आरम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम सदस्य सचिव, विद्या परिषद द्वारा कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 31वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, प्रोफेसर एच0सी0 पुरोहित तथा प्रोफेसर बृजेश कुमार पाण्डेय का बैठक में प्रतिभाग हेतु विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का विद्या परिषद की 31वीं बैठक में स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 31.01- विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/R/वि0परि0/30/2024, दिनांक 16.11.2024 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.02- विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया।

विद्या परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित प्रस्तावों से अवगत होते हुए कुछ प्रस्तावों पर विस्तृत आख्या चाही गयी। तदक्रम में निम्नवत् कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करते हुए शेष कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-

- प्रस्ताव संख्या 30.08- विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परम्परा अध्ययन प्रकोष्ठ खोले जाने के संबंध में विचार:- प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा चाही गयी आख्या के

क्रम में अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 में संबंधित प्रस्ताव पर परिषद द्वारा भारतीय ज्ञान परम्परा अध्ययन प्रकोष्ठ के बजाय पृथक से एक विद्याशाखा स्थापित किये जाने की संस्तुति करते हुए नवीन विद्याशाखा को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में समावेशित किये जाने पर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को संदर्भित किया गया।

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 21.11.2024 द्वारा विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16.11.2024 की संस्तुतियों पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। तदक्रम में विश्वविद्यालय की परिनियमावली में 15वीं विद्याशाखा के रूप में नवीन विद्याशाखा "भारतीय ज्ञान परम्परा" स्थापित किये जाने हेतु माननीय कुलाधिपति जी को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व संबंधित विद्याशाखा का ढांचा (Structure) तैयार किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्तानुसार गठित समिति द्वारा निर्मित "भारतीय ज्ञान परम्परा विद्याशाखा" का ढांचा, प्रस्तावित विद्याशाखा के गठन के औचित्य को स्पष्ट करने हेतु विस्तृत अवधारणा पत्र (Concept note) विद्या परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:-

विद्या परिषद द्वारा माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय पाँच धारा 13(7 से 13) में निम्नानुसार विभागों को समावेशित करते हुए 15वीं नवीन "भारतीय ज्ञान परम्परा विद्याशाखा" स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति जी के स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया:-

1. वैदिक विज्ञान
2. सामान्य वैदिक गणित
3. प्राचीन भारतीय कूटनीति
4. धारणीय विकास हेतु पर्यावरण विज्ञान
5. भारतीय खगोलशास्त्र
6. इंजिनियरिंग एवं तकनीकी में भारतीय ज्ञान
7. आयुष
8. भारतीय कला व संस्कृति
9. भारतीय धातुकर्म
10. भारतीय वास्तुकला
11. हिन्दू अध्ययन
12. मंत्र विज्ञान
13. ध्वनि विज्ञान

14. चिकित्सा ज्योतिष
15. पौरोहित्य प्रशिक्षण विज्ञान
16. भारतीय नाट्य एवं संगीत कला
17. भारतीय चित्रकला
18. गीता में आम्प्रबन्धन
19. वैदिक सृष्टि विज्ञान
20. उत्तराखण्ड का पारम्परिक ज्ञान व सामुदायिक विकास

- प्रस्ताव संख्या 30.11.01- अग्निवीरों, पैरामिलिट्री एवं पुलिस सेवा में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मियों के सशक्तीकरण हेतु रोजगार परक कौशल विकास से संबंधित प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सेना/पैरामिलिट्री/पुलिस के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने हेतु कुलपति कार्यालय से संबंधित विभागों को एक पत्र प्रेषित जाने तथा इस संबंध में माननीय कुलपति जी के स्तर पर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।
- प्रस्ताव संख्या 30.11.03- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत आगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं एवं भोजन माताओं में नेतृत्व क्षमता के विकास एवं कौशल विकास हेतु प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित किये जाने की संस्तुति की गयी।
- प्रस्ताव संख्या 30.11.04- वर्तमान परिपेक्ष्य में युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य व सकारात्मक सोच (Mental Health & Positive Thinking) पर प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम समाज विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत मनोविज्ञान विभाग द्वारा संचालित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव संख्या 31.03- शिक्षाशास्त्र विभाग की पीएच0डी0 शोधार्थी श्रीमती संजना रौतेला नामांकन संख्या-16093286 की दिनांक 24.02.2025 को सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि शिक्षाशास्त्र विभाग की पीएच0डी0 शोधार्थी श्रीमती संजना रौतेला नामांकन संख्या-16093286 शोध शीर्षक "A Cross Sectional Study on the Development of Psychological Capital, Empathy and Language Creativity of B.Ed. trainees during 2 year B.Ed. Programme" हेतु पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा डॉ0 ममता कुमारी, शोध निर्देशक

एवं बाह्य विशेषज्ञ प्रोफेसर राज शरण शाही की ऑन-लाईन उपस्थिति में दिनांक 24.02.2025 को सम्पन्न करा ली गयी है। मौखिक परीक्षा की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

पीएच.डी. शोधार्थी का नाम	नामांकन संख्या	शोध निर्देशक	पीएच.डी. मौखिक परीक्षा की तिथि	विभाग/ विषय	शोध शीर्षक
श्रीमती संजना रौतेला	16093286	डॉ० ममता कुमारी	24.02.2025	शिक्षाशास्त्र	"A Cross Sectional Study on the Development of Psychological Capital, Empathy and Language Creativity of B.Ed. trainees during 2 year B.Ed. Programme"

निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार माननीय कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.04- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रमों में Research Project/ Dissertation/ Seminar लागू किये जाने हेतु निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार/अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रमों में Research Project/ Dissertation/ Seminar लागू किये जाने हेतु निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में दिनांक 08 जनवरी, 2025 को एक बैठक सम्पन्न हुई। समिति द्वारा समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्याशाखा के कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए यू0जी0सी0 द्वारा दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अन्तर्गत उल्लिखित व्यवस्थानुसार संबंधित प्रकरण पर निम्नानुसार संस्तुति की गयी:-

1. समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों में यदि कोई कार्यक्रम समन्वयक शिक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए संबंधित सेमेस्टर में Research Project/ Dissertation/ Seminar को लागू करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकेगा।
2. समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों में यदि कोई कार्यक्रम समन्वयक शिक्षार्थियों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए संबंधित सेमेस्टर में Research Project/ Dissertation/ Seminar के स्थान पर उतने ही श्रेयांक का कोई कोर्स देना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकेगा।

अतः उक्तानुसार समिति की संस्तुतियां विद्या परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी है।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संबंधित प्रस्ताव पर तकनीकी पहलूओं का परीक्षण किये जाने हेतु विद्या परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.05- शोध निर्देशक परिवर्तित किये जाने हेतु दिनांक 18.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार/अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा में पंजीकृत पीएच.डी. शोधार्थियों- श्रीमती लता आर्या, श्रीमती नमीता सामंत एवं फराह नाज द्वारा निदेशक, शोध को कई बार प्रेषित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से शोध निर्देशक परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त शोधार्थियों के शोध निर्देशक डॉ0 दिनेश कुमार, सह-आचार्य, शिक्षाशास्त्र हैं। डॉ0 दिनेश कुमार का इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) में प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र के पद पर चयन होने के फलस्वरूप डॉ0 दिनेश कुमार दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 12.02.2026 तक विश्वविद्यालय से असाधारण अवकाश पर हैं।

समिति द्वारा पीएच.डी. शोधार्थियों श्रीमती लता आर्या, श्रीमती नमीता सामंत एवं फराह नाज के शोध निर्देशक परिवर्तित किये जाने सम्बन्धित प्रकरण पर चर्चा की गई। शोधार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए एवं शोध अवधि के दृष्टिगत निम्न अनुशंसाएँ की गई:-

1. सभी शोधार्थी डॉ0 दिनेश कुमार शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा (वर्तमान में अवैतनिक असाधारण अवकाश पर) हैं, के अंतर्गत पंजीकृत हैं। शोधार्थियों द्वारा अन्यत्र दूसरे राज्य में जाकर शोध निर्देशक से परामर्श लिया जाना संभव नहीं है और न ही निर्देशन ऑनलाइन किया जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि चूंकि शोध निर्देशक विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः उनके स्थान पर शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा के किसी अन्य शोध निर्देशक को सम्बन्धित शोधार्थियों हेतु नामित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

2. उपरोक्त पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण को आगामी विद्या परिषद की बैठक में विचारार्थ रख लिया जाय।
3. विद्या परिषद द्वारा सहमति दिये जाने की स्थिति में, इस प्रक्रिया को नियम मानते हुये शोध उपाधि अध्यादेश में भी प्रख्यापित किया जाना होगा।

अतः उक्तानुसार शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा में पंजीकृत पीएच.डी. शोधार्थियों- श्रीमती लता आर्या, श्रीमती नमीता सामंत एवं फराह नाज के प्रकरण पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 18 फरवरी, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी हैं।

निर्णय:-

प्रस्तुत प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर पीएच.डी. शोधार्थियों- श्रीमती लता आर्या, श्रीमती नमिता सामंत एवं फराह नाज के हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18 फरवरी, 2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही भविष्य के लिए इस प्रक्रिया को विश्वविद्यालय के शोध उपाधि अध्यादेश में भी प्रख्यापित किये जाने पर निर्णय पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.06- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) के तहत कौशल आधारित कार्यक्रमों को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में संचालित किये जाने के संबंध में।

व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा द्वारा विद्या परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि शिक्षार्थियों के लिए NCVET से मान्यता प्राप्त कौशल आधारित पाठ्यक्रम भविष्य में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। संबंधित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय द्वारा अध्ययन केंद्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम में उल्लिखित बिन्दु जैसे-शुल्क आवंटन, अध्ययन केन्द्र आवंटन आदि में संशोधन किया जाना होगा। ये कौशल आधारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय के उन्हीं अध्ययन केन्द्रों में संचालित किये जायेंगे जिन अध्ययन केन्द्रों में इससे संबंधित कोर्स पूर्व से संचालित किये जा रहे हों।

व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा के प्रस्ताव के अनुसार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कौशल आधारित कार्यक्रमों के संचालन के तीन मुख्य तरीके होंगे। पहला विश्वविद्यालय निर्मित क्वालिफिकेशन पैक (QP) है। इस तरीके में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय NCVET मानकों के अनुसार क्वालिफिकेशन पैक (QP) तैयार करेगा, जो उद्योग-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा और राष्ट्रीय शैक्षिक ढांचे के साथ मेल खाएगा। NCVET से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, ये कौशल आधारित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय और अध्ययन केंद्रों (LSCs) द्वारा संचालित किए जाएंगे। इस तरीके में अवार्डिंग बॉडी (awarding body) और अस्सेसमेंट बॉडी (assessment body), दोनों कार्य उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किए जाएंगे।

दूसरा तरीका अडॉप्टेड क्वालिफिकेशन (adopted qualification) है। इस तरीके में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पहले से मान्यता प्राप्त और NCVET दिशा- निर्देशों के अनुसार मानकीकृत कौशल प्रमाण-पत्रों को अपनाएगा। पहले तरीके की तरह, इस मोड में भी अवार्डिंग बॉडी और अस्सेसमेंट बॉडी, दोनों कार्य उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किए जाएंगे।

तीसरा तरीका Sector Skill Councils के साथ अनुबन्ध के तहत होगा। इस तरीके में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न SSCs के साथ अनुबन्ध के माध्यम से साझेदारी करेगा। इन साझेदारियों के तहत कौशल आधारित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अकादमिक पार्टनर /ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में कार्य करेगा, अवार्डिंग बॉडी और अस्सेसमेंट बॉडी संबंधित कार्य SSC या SSC द्वारा नामित थर्ड पार्टी द्वारा किया

जाएगा। शिक्षार्थियों की थर्ड पार्टी मूल्यांकन की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुसार परीक्षा शुल्क थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेन्सी को दिया जायेगा।

कौशल आधारित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एक सुव्यवस्थित और लचीले दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा। सबसे पहले, कई admission और examination cycles होंगे, जिसके तहत इन कार्यक्रमों में वर्ष में चार बार प्रवेश तथा परीक्षा की जानी प्रस्तावित हैं।

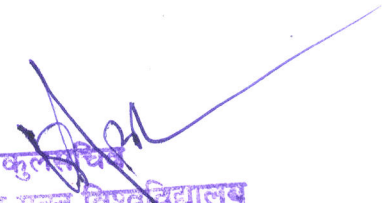
इन कार्यक्रमों के सुचारु क्रियान्वयन के लिए डेडिकेटेड मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। कौशल आधारित कार्यक्रमों के लिए एक अलग एडमिशन मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक अलग परीक्षा प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो NCVET के दिशा-दर्शों का पालन करेगी, ताकि मूल्यांकन उद्योग-मानकों के अनुरूप हो। साथ ही एक मजबूत और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा, जो गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा।

ये कौशल-आधारित कार्यक्रम व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा द्वारा संचालित किए जाएंगे। संबंधित विद्याशाखा का पाठ्यक्रम समन्वयक अपने-अपने पाठ्यक्रमों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उदाहरण के लिए - यदि पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन के क्षेत्र में कोई कौशल आधारित कार्यक्रम संचालित किया जाता है, तो पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन का पाठ्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम के डिजाइन, डिलीवरी (लाइव सेशन , कॉउन्सिलिंग , प्रैक्टिकल , आदि), मूल्यांकन (सभी प्रकार के मूल्यांकन), विशेषज्ञ समिति/ अध्ययन बोर्ड (BOS) / इंडस्ट्रियल वेलिडेशन आदि से संबंधित समस्त कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा किन्तु विशेषज्ञ समिति व अध्ययन बोर्ड (BOS) व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा के अन्तर्गत ही गठित की जायेगी।

यह सिफारिश की जाती है कि NCVET स्वीकृत योग्यताओं से प्राप्त क्रेडिट्स को NEP आधारित कार्यक्रमों में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) के तहत सम्मानित किया जाए।

विश्वविद्यालय सभी संबंधित NCVET दिशा-निर्देशों को अपनाएगा, जिसमें [i] Guidelines on Adoption of Qualifications by Awarding Bodies [ii] Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies (2024) शामिल हैं। इसके अलावा, NCVET द्वारा जारी किए गए किसी भी संशोधन को उपयुक्त रूप से समाहित किया जाएगा। विश्वविद्यालय UGC-DEB द्वारा मुक्त विश्वविद्यालयों हेतु कौशल आधारित कार्यक्रमों के संबंध में जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।

इसके अतिरिक्त कौशल आधारित कार्यक्रमों के लिए Learner Support Centres (LSCs) का राजस्व हिस्सा 50% बढ़ाया जाएगा। यदि Sector Skill Council (SSC) मूल्यांकन करता है, तो परीक्षा शुल्क संबंधित असेसमेंट एजेंसी को उचित सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा।


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हनुमानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हनुमानी (नैनीताल) (उत्तराखण्ड)

कौशल आधारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय (RSD) द्वारा इस संबंध में निर्मित नियमावली में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जैसे- 1. कौशल आधारित कार्यक्रमों के आवंटन से सम्बंधित नियम 2. कौशल आधारित कार्यक्रमों के लिए LSCs को शुल्क वितरण से सम्बंधित नियम 3. थर्ड पार्टी मूल्यांकन (SSC द्वारा किए गए मामलों में) के लिए परीक्षा शुल्क वितरण से संबंधित नियम।

निर्णय:- प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर दी गयी विस्तृत जानकारी से विद्या परिषद अवगत हुई तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित NCVET से मान्यता प्राप्त कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का अवलोकन किया गया। तदक्रम में परिषद द्वारा इस हेतु विश्वविद्यालय के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव के सभी बिन्दुओं जैसे- (*Modes of Offering Skill-Based Programmes, Implementation, Regulatory Compliance, Financial Framework, Amendments in RSD Rules, Credit Mobility* आदि) पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही संबंधित विभागों (प्रवेश विभाग, क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय, वित्त विभाग, परीक्षा विभाग, व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा तथा सभी विद्याशाखाओं) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.07- विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की 5वीं बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2025 को सम्पन्न 5वीं बैठक की संस्तुतियों में मद संख्या 05.11- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत 05.11.1 में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

मद संख्या 05.11.1 - प्रवेश समिति के प्रस्ताव संख्या-05.11.1 एवं निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2025 को सत्र 2025-26 से स्नातक स्तर पर ऑनर्स डिग्री कोर्स शुरू करने के संबंध में सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का एक साथ अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को 04 वर्ष में upgrade करने की संस्तुति की गयी। साथ ही 03 वर्ष के कोर्स को पूर्व की भांति रखते हुए स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष से संबंधित पाठ्यक्रम को चतुर्थ वर्ष में लागू किये पर निर्णय पारित किया गया।


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 31.08- विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 19वीं बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2025 को सम्पन्न 19वीं बैठक की संस्तुतियों में मद संख्या 19.10 में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

मद संख्या 19.10- समिति का यह सुझाव हुआ चूंकि प्रस्ताव पर वित्तीय उपाशय निहित है, अतः विचारोपरान्त सहमति दी गयी कि परीक्षा कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई सामग्रियों यथा- ओ0एम0आर0 शीट, अंकतालिका, उपाधि पत्र व उत्तरपुस्तिका आदि हेतु यथाशक्य सम्भव अवधि में अधिप्राप्ति की प्रक्रिया परीक्षा नियंत्रक की मांग के अनुरूप केन्द्रीय क्रय समिति (CPC) द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। इस हेतु प्रतिष्ठित फर्मों का चयन कर सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

प्रस्ताव संख्या 31.09- विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (Annual Quality Assurance Report) 2023-24 का अनुमोदन।

निर्णय:- विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (Annual Quality Assurance Report) 2023-24 का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन कर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया गया कि सीका (Centre for Internal Quality Assurance) की बैठक हर छः माह में एक बार अवश्य आयोजित की जाय।

प्रस्ताव संख्या 31.10- विश्वविद्यालय में NSQF Aligned एवं NCVET मान्यता प्राप्त कौशल पाठ्यक्रमों को SSCs (NASSCOM, TCSC, MESC) से अनुबन्ध के माध्यम से संचालित किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा द्वारा विद्या परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय को “प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद” (एमईपीएससी) से दिनांक 05 मार्च, 2025 को सहयोगात्मक रूप से कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु Letter of Intent (LoI) प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा NCVET से मान्यता प्राप्त कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु Dual Recognition प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में गतिमान है। NCVET से Dual Recognition हेतु अनुमोदन (LoI Received) प्राप्त किए जाने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विधाओं में कौशल आधारित

पाठ्यक्रम (Skill Based Courses) संचालित किए जाने हैं। कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों (ODL Courses) के संचालन से भिन्न है, जिसमें कि Practical /Hands-on-Training / Face-to-Face Training (in Person /Online) आवश्यक Component हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु LSCs के चयन, मूल्यांकन, वित्तीय वितरण, Course Offer/ Assessment (Infrastructure/ Training/ Empanelment of Resource Persons/ Assessor/etc.) एवं निगरानी हेतु कोई दिशा-निर्देश (Guidelines) तैयार नहीं हैं। विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में NCVET से Dual Recognition प्राप्त किए जाने के उपरांत उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किये जाने होंगे।

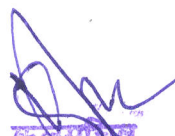
चूँकि, MEPSC, NCVET से Dual Recognition प्राप्त Management Sector Skill Council (SSC) है, जिसके सहयोग से NSQF Aligned & NCVET Recognized कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाने से विश्वविद्यालय को भविष्य में NCVET से मान्यता प्राप्ति के बाद कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए समुचित अनुभव प्राप्त होगा, और साथ ही राज्य के युवाओं को भी बेहतर अवसर उपलब्ध किए जा सकेंगे।

यह पाठ्यक्रम Sector Skill Councils के साथ अनुबन्ध के तहत संचालित होगा। इस तरीके में, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न SSCs के साथ अनुबन्ध के माध्यम से साझेदारी करेगा। इन साझेदारियों के तहत, कौशल आधारित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अकादमिक पार्टनर / ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में कार्य करेगा, जबकि अवार्डिंग बॉडी और असेसमेंट बॉडी के कार्य संबंधित SSC या SSC द्वारा नामित थर्ड पार्टी द्वारा किए जाएंगे। शिक्षार्थियों की थर्ड पार्टी मूल्यांकन की स्थिति में, विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुसार परीक्षा शुल्क थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी को दिया जाएगा।

उपरोक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में युवाओं हेतु रोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा उनके कौशल स्तर को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के दृष्टिगत Management Sector Skill Council (SSC), i.e. MEPSC के सहयोग से राष्ट्रीय मानकों (NSQF Aligned & NCVET Recognized) पर आधारित कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित किए जाने प्रस्तावित है। यह पहल शिक्षार्थियों को आधुनिक कौशल और व्यावसायिक दक्षताओं से सम्पन्न करेगी, जिससे उन्हें कौशल आधारित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय की सक्षम परिषदों से अनुमोदन के बाद MEPSC के साथ विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा MEPSC द्वारा निर्मित कोर्स को विश्वविद्यालय की व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा द्वारा संचालित किया जायेगा। उक्त कोर्स का मूल्यांकन MEPSC द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी द्वारा किया जायेगा जिस हेतु MEPSC/थर्ड पार्टी को अनुबन्ध में वर्णित परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।

निर्णय:-

प्रस्तुत प्रस्ताव से विद्या परिषद अवगत हुई तथा विश्वविद्यालय की इस विशिष्ट उपलब्धि पर परिषद द्वारा ध्वनि मत से सराहना करते हुए बधाई दी गयी। तदक्रम में अनुबन्ध की सभी शर्तों पर सहमति देते हुए प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

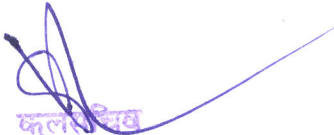

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
नैनीताल


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**प्रस्ताव संख्या 31.11- विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत सम्पन्न अध्ययन बोर्डों
(Board of Studies) की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy)-2020 के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को 4 year Honours पाठ्यक्रम में upgrade किये जाने हेतु विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न विषयों की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न अध्ययन बोर्डों (Board of Studies) द्वारा 4 year Honours पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	विद्या शाखा का नाम	विभाग	कार्यक्रम का नाम	संलग्नक
1.	समाज विज्ञान	इतिहास	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 27.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-09)
		राजनीति विज्ञान	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-10)
		मनोविज्ञान	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-11)
		समाजशास्त्र	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 27-28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-12)
		लोक प्रशासन	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-13)
		अर्थशास्त्र	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 06.03.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-14)
2.	विज्ञान	जन्तु विज्ञान	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 26.11.2024 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-15)
		गणित	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-16)
		भौतिक विज्ञान	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित।


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
रुन्धानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
रुन्धानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

				सहित। (संलग्नक-17)
		वनस्पति विज्ञान	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-18)
3.	भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान	भूगोल	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 27.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-19)
4.	स्वास्थ्य विज्ञान	गृहविज्ञान	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 27.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-20)
5.	मानविकी	अंग्रेजी	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-21)
		संगीत	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-22)
6.	शिक्षाशास्त्र	शिक्षाशास्त्र	चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 25.02.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-23)

उक्त के अतिरिक्त कुछ विद्याशाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न विषयों की अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की बैठकें विभिन्न तिथियों में सम्पन्न हुई हैं, जिसमें अध्ययन बोर्ड द्वारा नवीन कार्यक्रम संचालित किये जाने एवं कतिपय अन्य प्रकरणों पर निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है:-

क्रम सं०	विद्या शाखा का नाम	विषय	कार्यक्रम का नाम	संलग्नक
1.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	- मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन साइंस - बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन साइंस में एक माह की इंटर्नशिप	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 18.01.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-24)
2.	मानविकी	भारतीय ज्ञान परम्परा	विज्ञान, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, मानविकी, समाज विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन एवं विधि विद्याशाखा के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर भारतीय ज्ञान परम्परा पाठ्यक्रम	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 04.03.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-25)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
इस्पात (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तराखण्ड (नैनीताल)

3.		नेपाली भाषा	नेपाली भाषा में 01 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 07.03.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित। (संलग्नक-26)
----	--	-------------	--	---

उक्तानुसार विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत सम्पन्न अध्ययन बोर्डों की संस्तुतियां विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अध्ययन बोर्ड द्वारा NEP-2020 के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को 4 year Honours पाठ्यक्रम में upgrade किये जाने हेतु निर्मित पाठ्यक्रम/पी0पी0आर एवं विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत नवीन कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु कार्यक्रम संरचना से संबंधित समस्त अभिलेखों का अवलोकन किये जाने हेतु उक्तानुसार समस्त अध्ययन बोर्ड की पत्रावलियां विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार सम्पन्न अध्ययन बोर्डों की संस्तुतियों एवं अध्ययन बोर्ड द्वारा NEP-2020 के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को 4 year Honours पाठ्यक्रम में upgrade किये जाने हेतु निर्मित पाठ्यक्रम/पी0पी0आर आदि से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। सभी पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में समानता या आवश्यक संशोधन किये जाने के दृष्टिगत परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित किया गया कि प्रत्येक अध्ययन बोर्ड द्वारा निर्मित पाठ्यक्रमों का निदेशक, सीका, निदेशक, संबंधित विद्याशाखा, संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयक एवं समन्वयक, NEP द्वारा एक बार पुनः परीक्षण कर आख्या माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत की जाय। प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु परिषद द्वारा अध्यक्ष, विद्या परिषद/माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। साथ ही मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन साइंस, स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित भारतीय ज्ञान परम्परा पाठ्यक्रम एवं नेपाली भाषा में 01 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सम्पन्न अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर विद्या परिषद द्वारा यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 31.12- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 31.12.01- विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र की Standard Operating Procedure (SOP) का अनुमोदन एवं महिला अध्ययन केन्द्र को मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित किये जाने के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र की Standard Operating Procedure (SOP) को प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

15


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
इल्हानी (नैनीताल)


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
इल्हानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:-

विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र की SOP का अवलोकन कर प्रोफेसर रेनु प्रकाश, संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र को संबंधित SOP में कुछ आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए संशोधित SOP को अनुमोदित किये जाने हेतु अध्यक्ष, विद्या परिषद/माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र को समाज विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

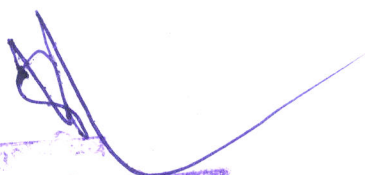
प्रस्ताव संख्या 31.12.02- कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (CEMCA) नई दिल्ली तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 06 एवं 07 मार्च, 2025 को राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपतियों का गोलमेज सम्मेलन (Roundtable Conference of Vice-Chancellors State Open Universities) से विद्या परिषद को अवगत कराये जाने के संबंध में।

कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (CEMCA) नई दिल्ली तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 06 एवं 07 मार्च, 2025 को राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपतियों का गोलमेज सम्मेलन (Roundtable Conference of Vice-Chancellors State Open Universities) के सभी पहलूओं और नई तकनीकों के संबंध में माननीय कुलपति जी द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्णय:-

उपरोक्त के संबंध में बैठक में विस्तृत चर्चा हुई तदक्रम में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये:-

1. Staff Exchange Programme आवश्यक रूप से होने चाहिए।
2. सभी शिक्षकों द्वारा रिफ्रेशर/ओरियंटेशन प्रोग्राम को मुक्त विश्वविद्यालयों से ही किया जाय अन्य संस्थाओं से किया गया रिफ्रेशर/ओरियंटेशन प्रोग्राम मान्य नहीं होगा।
3. उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किये जाने हेतु एक SOP तैयार की जाय।
4. प्रत्येक विद्याशाखा को MOOCs के अन्तर्गत नये प्रोग्राम बनाने अनिवार्य होंगे।


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
बल्लभानी जिला नैनीताल


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
बल्लभानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 31.12.03- नेशनल कोऑर्डिनेटर, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित SWAYAM पोर्टल हेतु पाँच MOOCs के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि SWAYAM बोर्ड की स्वीकृति के बाद, निम्न पाठ्यक्रम SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, सभी शिक्षार्थी जो इस पाठ्यक्रम में नामांकित होंगे और पाठ्यक्रम पूर्णता की शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें SWAYAM नियमन के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। SWAYAM MOOCs पाठ्यक्रमों की सूची निम्नानुसार है:-

- Fundamentals of Financial Inclusion and Cyber Safety [4 Credits]
- Essential Life Skills for 21st Century Learners [4 Credits]
- Workplace Skills for 21st Century Learners [4 Credits]
- Advance Strategies in NGO Management [4 Credits]
- Sustainable Aquaculture: Practices, Innovations, and Management [4 Credits]

निर्णय:- प्रस्ताव से विद्या परिषद अवगत हुई तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त विद्या परिषद के सदस्य सचिव/कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों, विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, विद्या परिषद

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
(नन्दार्वी-सुपौल)

कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
(नन्दार्वी-सुपौल (उत्तराखण्ड))